

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
—: अधिघोषणा :—

प०स०-१४ / डी०एल०ए०, कटिहार (संपर्क सङ्क)–२०१ / २०१३ – २८.८.३. / रा०, पटना-१५, दिनांक-१२ / १२ / २०१३
संख्या- भू-अर्जन, कटिहार दिनांक--

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा खैरा थाना नं० 264 अंचल समेली जिला कटिहार में सार्वजनिक परियोजनार्थ मौजा खैरा अन्तर्गत सलेमपुर महादलित टोला से ईंट सोलिंग सङ्क तक सम्पर्क सङ्क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम खैरा थाना नं० 264 के भीतर एक भू-खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.16 एकड़ (सोलह डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा सं० 130 का अंश है एवं जिसका चौहांदी निम्न प्रकार है –

उत्तर :- मौजा खैरा थाना नं० 264 का सर्वे खेसरा नं० 189 एवं रास्ता।

दक्षिण :- मौजा खैरा थाना नं० 264 का सर्वे खेसरा नं० 131 का पूर्ण।

पूरब :- मौजा खैरा थाना नं० 264 का सर्वे खेसरा नं० 130 का पूर्ण।

पश्चिम :- मौजा खैरा थाना नं० 264 का सर्वे खेसरा नं० 122,124 एवं 123 का पूर्ण एवं रास्ता।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपभोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिघोषणा १-१९८४ की धारा ६ और अधिनियम १८-१८८५ की धारा ३ के खण्ड (१)के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

८०

सरकार के अवर सचिव

जिला भू० अर्जन पदाधिकारी
कटिहार

उपर समाहता
कटिहार

समाहता
कटिहार

प्रतिलिपि:-

ज्ञापाक अनुमति संख्या / भू-अर्जन दिनांक १२ - १२ - १३

प्रतिलिपि:-

निदेशक, भू-अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनोपरान्त प्रकाशन सूचना जिला भू-अर्जन कटिहार को दी जाय।

प्रतिलिपि:-

उप समाहता प्रभारी, जिला गजट प्रशाखा, कटिहार को गजट के असाधारण अंक में प्रका-शनोपरान्त ५-५ प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार / अंचल पदाधिकारी, समेली / मुखिया ग्राम पंचायत राज खैरा को सूचनापट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अधियाची पदाधिकारी को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:-

हितवद्य रैयतों को सूचनार्थ प्रेषित।

८०
वा०

सरकार के अवर सचिव